न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली
पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 72 / 2023

G.C.M.S. Number : 2023/14

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
सोहनलाल पुत्र भूराराम जाति नाई निवासी टास्कावा वास तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.		तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध कस्बा तखतगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 229 जो कि तहसीलदार, सुमेरपुर के आदेश दिनांक 15.03.1996 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति : अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित

रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।

–: निर्णयः–

दिनांकः 30.04.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत कस्बा तखतगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 15 मार्च 1996 जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील **Subject To Limitation** दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार ग्राम तखतगढ़ में अपीलार्थी के पिता भूरा पुत्र रावता के नाम दर्ज थी। अपीलार्थी के पिता भूरा की मृत्यु उपरांत विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने पर अपीलार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र भूरा जी के बजाय सोनाराम पुत्र भूरा जी अंकित किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 229 अपीलार्थी के हितों के विरुद्ध होने से कानुनन अवैध शुन्य एवं निष्प्रभावी है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा कस्बा तखतगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 15 मार्च 1996 को निरस्त फरमाया जावें एवं राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र भूरा जी जाति नाई निवासी तखतगढ़ अंकित किये जाने का आदेश किया जावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट तहसीलदार सुमेरपुर को नोटीस जारी किया गया एवं मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया, मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

अपील प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपीलार्थी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बिजली बिल की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, एवं यह पाया कि विरासत के नामान्तरकरण में सोनाराम दर्ज किया गया है जबकि इस नाम का कोई वारिस भूराराम के नहीं था।

अतः तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किए गए नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 15 मार्च 1996 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिये जाते है कि मृतक भूरा के सही वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवें।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

CamScanner